न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 119/2018

1. मंगल सिंह पुत्र किशन सिंह जाति बाबरी निवासी 59 एफ तहसील श्रीकरणपुर।
2. बिन्द्र सिंह पुत्र किशन सिंह जाति बाबरी निवासी 59 एफ तहसील श्रीकरणपुर।
3. किशन सिंह पुत्र गुरमुख सिंह जाति बाबरी निवासी 59 एफ तहसील श्रीकरणपुर।
4. माया पुत्री किशन सिंह जाति बाबरी निवासी 59 एफ तहसील श्रीकरणपुर।
5. कश्मीर कौर पुत्री किशन सिंह जाति बाबरी निवासी 59 एफ तहसील श्रीकरणपुर।
6. ममता बाई पुत्री किशन सिंह जाति बाबरी निवासी 59 एफ तहसील श्रीकरणपुर।

--प्रार्थीगण--

बनाम

1. गुरमुख सिंह पुत्र प्रेम सिंह जाति बाबरी निवासी 59 एफ तहसील श्रीकरणपुर

--अप्रार्थी--

अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए

--निर्णय-- दिनांक : 29/1/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 59 एफबी के खाता संख्या 9/7 नया पुराना मु0नं03 व मु0नं0 19 में कुल 35 बीघा 19 बिस्वा नहरी आराजी व मु0नं0 35/1 में 0.126 हैक्टर गैर मुमकिन खाला भूमि अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रेमसिंह पुत्र बिशन सिंह की वंशावली अंकित की है ।

प्रार्थीगण की वंशावली में यह भूमि प्रार्थीगण के परदादा प्रेम सिंह पुत्र विशन सिंह को अलॉटमेंट हुई थी व प्रार्थीगण के दादा गुरमुख सिंह पुत्र प्रेम सिंह को जरिये विरास्तन उपरोक्त आराजी प्राप्त हुई है।

प्रार्थीगण के दादा गुरमुख सिंह ने परिवार की स्थिति व परिवार के सदस्यो को देखते हुए अपने जीवन काल में ही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का घरू बटवारा कर चक 59 एफबी के मु0नं0 19 के किला न0 1 ता 12 व 13/2 का 0.127 हैक्टर कुल 3.088 हैक्टर नहरी आराजी प्रार्थीगण को घरू बंटवारा में दे दी। जिस पर प्रार्थीगण की बटवारा की दिनांक से शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त है और बटवारा अनुसार वादी व अप्रार्थीगण अपनी-अपनी भूमि पर कब्जा काश्त चले आ रहें है इस भूमि का विधिवत् बटवारा नही हुआ है, जिसके वह अधिकारी है प्रार्थीगण वाहमी बंटवारा व प्रतिकूल कब्जा के आधार पर इस भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा कर विधिवत् विभाजन करवाना चाहते है प्रार्थीगण पिछले लगभग 30-35 वर्षो से बतौर खातेदार बेरोकटोक व शान्तिपूर्वक काब्ज चले आ रहें है अप्रार्थीगण के विरूद्व इस भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा मुखालफाना हो चुका है इस भूमि को प्रार्थीगण ने काफी मेहनत करके उपजाऊ बनाया है। अप्रार्थी इस भूमि में से अच्छी भूमि बिना विभाजन करवाये बैचान करने की फिराक में है और कब्जा किसी अन्य व्यक्ति को देकर अच्छी भूमि में दखलन्दाजी करवाने पर उतारू है जिसका वह अधिकारी नही है और न ही कोई सहखातेदार बिना विधिवत् विभाजन करवाये भुमि का बेचान कर सकता है इस बाबत् प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थी को कहा तो उसने टालमटोल कर दी। सांझा खाता की भुमि में ऋण आदि लेने में परेशानी का सामना करना पडता है इसलिए खाता का विधिवत् विभाजन करवाया जाना विधिसम्मत् है। दो रोज पूर्व प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से मिल कर अपने हिस्से की भूमि अपने नाम करवाने को कहा तो उसने इन्कार कर दिया और कहा कि वह अच्छी भूमि का बेचान कर देगा यदि उसने ऐसा किया तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रथम दृष्टया राईट एवं टाईटल सुविधा का संतुलन तथा मामला प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र 212 आर टी ए पेश कर निवेदन है कि मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की अप्रार्थी चक 59 एफबी के मु0नं0 19 के किला न0 1 ता

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

12 व किला न0 13/2 का 0.127 हैक्टर कुल 3.088 हैक्टर नहरी भूमि को विधिवत् विभाजन करवाये बिना रहन बैय, वसीयत करने से निषिद्व रहे और मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को जरीये नोटिस तलब किया गया किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थीगण के द्वारा गुरमुख सिंह के वारिसान में गुरमुख सिंह की पुत्रीयो प्रधान कौर, निधान कौर, जीत कौर, प्रीतम कौर, गुड्डी तथा गुरदेव कौर का नाम नही जोडा गया था। प्रार्थीगण द्वारा गुरमुख सिंह की गलत वंशावली प्रार्थना पत्र में पेश की गई है तथा न्यायालय मे समक्ष गलत एवं झुठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है ताकि गुरमुख सिंह की पुत्रीयों को उनके हक व हिस्सा से वंचित कर सकें और प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को गलत तरीके से अपने नाम करवा सकें। अप्रार्थी गुरमुख सिंह जीवित है और इस भूमि का वटवारा नही किया है उक्त भूमि अप्रार्थी के कब्जा काश्त में शान्तिपूर्वक चली आ रही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त भूमि अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त भूमि अप्रार्थी को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई थी। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का अप्रार्थी के पिता प्रेम सिंह ने अपने जीवन काल में कभी भी कोई घरू वटवारा करके नही दिया था। राईट एवं टाईटल सुविधा का संतुलन तथा मामला अप्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है न कि प्रार्थी के पक्ष में।

अतिरिक्त कथन में निवेदन किया कि वाद गत् भूमि अप्रार्थी को अपने पिता से विरास्त में प्राप्त हुई थी तब से लेकर आज तक अप्रार्थी ही इस भूमि पर लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है अप्रार्थी के 6 पुत्रीया व कुल 2 पुत्र है कुल 9 जायज वारिस है प्रत्येक वारिस को 1/9 हिस्सा भुमि प्राप्त होनी चाहिए लेकिन प्रार्थीगण इस भुमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है और अप्रार्थी को उसके हक से वंचित करना चाहते है प्रार्थीगण ने गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण और अप्रार्थी संख्या 1 कि 6 पुत्रीयों का भी 1/9 हिस्सा बनता है यदि प्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो अप्रार्थी को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र 212 आर टी ए मय खर्चा खारिज किया जावे।

बहस सुनी गई वकील प्रार्थीगण के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रेम सिंह को 35 बीघा भुमि आवंटन हुई थी, 12 बीघा भुमि पर प्रार्थीगण 30-35 वर्षो से काविज है यह भूमि गुरमुख सिंह के नाम खातेदारी है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे अप्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि यह भूमि विरास्तन प्राप्त हुई है जो कि अप्रार्थी के पास है इस भूमि का कोई घरेलू वटवारा नही हुआ है इनका 1/9 हिस्सा बनता है इस सम्बन्ध में गुड्डी बनाम गुरमुख सिंह आदि दावा विचाराधीन है। गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। वकील प्रार्थी के द्वारा बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया कि पानी की पर्ची जमाबंदी के अनुसार बनती है।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा चक 59 एफ बी की जमाबंदी संवत् 2069 ता 72 के मुरब्बा नं. 19 के किला नं. 1 ता 12 सालम व किला नं. 13/2 के 0.127 हैक. कुल 3.088 हैक. रकबा के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार गुरमुखसिंह के 6 पुत्रीयां भी है इस प्रकार कुल 9 वारिस है प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में इनके संबंध में कोई तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया है और न ही प्रार्थना पत्र में अंकित वंशावली में अंकित किया है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी की भूमि में से कितना हिस्सा मिलना है यह तथ्य मूल वाद में साक्ष्य से तय होना है। अप्रार्थी के द्वारा अंकित वंशावली के अनुसार गुरमुख सिह के कुल नौ वारिस है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 59 एफबी की जमाबंदी संवत् 2069 ता 72 के खाता संख्या 9/7 की कुल 5.668 हैक्टर भूमि नहरी मय गैरमुमकिन

Scanned by CamScanner

प्रकरण संख्या 119/2018 अनवान प्रकरण मंगल सिह आदि बनाम गुरमुख सिह

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

खाला भूमि मे 1/9 हिस्सा भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक बनाये रखने के आदेश दिये जाते है। इस खाता की शेष भूमि पर यह स्थगन आदेश प्रभावी नही होगा। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न है।

निर्णय आज दिनांक 29.1.19. को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर